उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

: 30 / 2013

1. रामेश्वर
2. भंवरलाल

} पुत्रान रघुनाथ जाति गूर्जर निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. धन्नलाल पुत्र गंगाराम जाति गूर्जर निवासी कालूपुरा सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांक: 15.04.2013

निर्णय दिनांक : 09.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 एक ही जात के होकर कस्बा सीसवाली तहसील मांगरोल में निवास करते है प्रतिवादी कम 1 के पिता आवंटनशुदा आराजी खसरा नं0 474 रकबा 15 बीघा जिसके बाद सेटलमेंट नये खसरा नं0 985 रकबा 1.34 है0 खसरा नं0 986 रकबा 0.19 है0 खसरा नं0 987 / 5656 रकबा 0.90 है0 कायम किये गये है। प्रतिवादी नं0 1 के पिता गंगाराम ने उक्त आराजी खसरा नं0 474 रकबा 15 बीघा का बैचान वादीगण को रू0 1800 में बैचान दिनांक 04.04.1978 को समक्ष साक्षीगण कर दिया और वादीगण को दाखल एवं काबिज करवा दिया था, इस प्रकार वादीगण उक्त विवादित आराजी पर सन 1978 से काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आराजी को जो कि बंजड नाकाबिल काश्त थी, को काबिल काश्त बहुत सारा पैसा लगाकर बनाया है। इस प्रकार से वादीगण को उक्त आराजी पर कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। गंगाराम की मृत्यु के बाद आराजी को प्रतिवादी किसी दूसरे व्यक्ति को बैचान, रहन रखले पर आमादा है। जबकि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, आज भी काबिज काश्त होकर कर रहे है, इस प्रकार से प्रतिवादी नं0 1 ने उसके पिता ने कभी भी वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही की है, तथा हास्टाइल रूप से वादीगण के कब्जे को स्वीकार किया है इस प्रकार से वादीगण को विवादित आराजी लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदार घोषित परिपक्त हो चुके है। तथा वादीगण अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 को आराजी को रहन बैचान करने दखलअंदाजी करने का अधिकार नही है। अतः निवेदन है कि ग्राम सीसवाली में तहसील मांगरोल की आराजी पुराना खसरा नं0 474 रकबा 15 बीघा के नये खसरा नं0 985

खसरा नं0 986 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 987/5656 रकबा 0.90 है0 कुल किता 3 कुल ..0 आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा ... की प्रसारित की जावे कि वादीगण को कब्ज काश्त में प्रतिवादी नं0 1 किसी प्रकार की ...राजी नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.04.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया ...या। वादी वकील ने उन्ही तथ्यो को कथन किया है जो वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया है वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की आज दिनांक तक भी तलबी नही करवायी गयी है। पत्रावली में साक्ष्यवादी हेतु उचित अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्यवादी नही किये जाने से साक्ष्यवादी बन्द किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.06.2016 को बहस हेतु प्रस्तुत हुई बहस के दौरान वादी वकील ने उन्ही तथ्यो को कथन किया है जो वाद पत्र में अंकित है जिसके अनुसार वकील वादीगण ने ग्राम सीसवाली में तहसील मांगरोल की आराजी पुराना खसरा नं0 474 रकबा 15 बीघा के नये खसरा नं0 985 रकबा 1.34 है0, खसरा नं0 986 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 987/5656 रकबा 0.90 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 में वादीगण को विवादित आराजी पर लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 न्यायालय के समक्ष आज दिनांक 09.03.2018 तक उपस्थित नही हुआ है अतः प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को एक्स पार्टी घोषित किया गया। वादीगण द्वारा विवादित आराजी पर लम्बे समय से कब्जा काश्त के आधार पर एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसके पक्ष में वादीगण द्वारा प्रतिवादी की ओर से वादीगण के पक्ष में सादा कागज पर विवादित आराजी के बैचान का एक कच्चे लेख की छायाप्रति पेश की है जो ना तो रजिस्टर्ड है ना ही किसी प्रकार के प्रमाणीकरण संबंधित कोई साक्ष्य सबूत है ऐसी सूरत में इस सादा कच्चे कागज की छायाप्रति का कोई औचित्य एवं कानूनी ग्राह्यता नही होने से सारहीन घोषित की जाती है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल

ार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न
में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

	लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकते हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

रकबा 1.34 हैक्टयर, खसरा नं. 986 रकबा